

- आदेश -

राज्य निर्वाचन आयोग की द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य के समस्त जिलों में पंचायतीराज संस्थाओं में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों, सर्वपंच व पंच एवं उपसर्वपंच के रिक्त पदों पर उप चुनाव माह अप्रैल-मई, 2023 में करवाये जा रहें हैं (प्रति सलग्न)। उपर पंचायतीराज संस्थाओं में मतदान दिनांक 07.05.2023 (रविवार) को होगा। अतः समस्त जिलों के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों में मतदान दिवस दिनांक 07.05.2023 (रविवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

सलग्न- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(शैली किशानी)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. सचिव (जीजी), माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय।
5. संपुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, लोकसुखा सचिवालय, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 1201 दिनांक 06.04.2023 के क्रम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिवगण।
12. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
13. समस्त जिला कलक्टर।
14. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैच, जयपुर।
15. संपुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (गुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
17. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
18. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (गुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम कराये।

Signature valid

Digitally signed by Shaily Kishani
Designation: Special Secretary To
Government
Date: 2023.04.26 15:34:46 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. 3709786

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(2)(3)/पंचा/रानिआ/2022/1478

दिनांक: 27/04/2023

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर) राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (पुन-2) विभाग

क्रमांक -प.12(6)शास/2/2023

जयपुर, दिनांक: 26.04.23

- आदेश -

राज्य निर्वाचन आयोग की द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य के समस्त जिलों में पंचायतीराज संस्थाओं में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों, सरपंच व पंच एवं उपसरपंच के रिक्त पदों पर उप चुनाव माह अप्रैल-मई, 2023 में करवाये जा रहें हैं (प्रति सलग्न)। उक्त पंचायतीराज संस्थाओं में मतदान दिनांक 07.05.2023 (रविवार) को होगा। अतः समस्त जिलों के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों में मतदान दिवस दिनांक 07.05.2023 (रविवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलेक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी संबंधित जिला कलेक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

सलग्न - उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(सौदी किशनानी)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. सचिव (जीजी), माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, लोकसुखा सचिवालय, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 1201 दिनांक 06.04.2023 के क्रम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /विशिष्ट शासन सचिवगण।
12. समस्त सम्मानीय आयुक्त।
13. समस्त जिला कलेक्टर।
14. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैच, जयपुर।
15. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (पुन-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
17. निदेशक पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
18. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (पुन-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट कराने का अम करायें।

Raj(Ka) Ref No. : 3709766

Signature valid

Digitally signed by S. Kishnani
Designation: Special Secretary To
Government
Date: 2023.04.26 15:34:46 IST
Reason: Approved

8/25
12/4/23

online

राजस्थान सरकार, सामान्य प्रशासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मोटर मंत्रालय, नागरिक उड्डयन विभाग,
राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, राधिकापुर, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ. 7(2)(3)/पंचा/रानिआ/2022/1201

दिनांक: 06/04/2023

प्रभु सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय:- पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव माह अप्रैल-मई, 2023 - सार्वजनिक अवकाश
के संबंध में।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उप चुनाव कराने हेतु कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोक सूचना दिनांक 17.04.2023 को जारी होगी एवं मतदान दिनांक 07.05.2023 को होगा। चुनाव कार्यक्रम एवं रिक्त पदों का विवरण पत्र के साथ संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न सूची के अनुसार जिन क्षेत्रों में मतदान होना है, उन क्षेत्रों में स्थित सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों में मतदान तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित कराने का श्रम करें। इस संबंध में आपके द्वारा जारी किये गये आदेशों की प्रति आयोग को भिजवाने की व्यवस्था करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीया,
रिमा

(चित्रा गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

दिनांक: 06/04/2023

क्रमांक:एफ. 7(2)(3)/पंचा/रानिआ/2022/1202

प्रतिलिपि सगरस जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत) को सूचनार्थ प्रेषित है।

(पिकी शर्मा)
सहायक सचिव

AS/ur-2)

12/4

Suraj
13/4/23

सामान्य प्रशासन विभाग
जयपुर
1254067
दिनांक 13 APR 2023